# गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि–20/01/2025 पंजीकरण सामाप्ति तिथि – 04/02/2025 ई–नीलमी की तिथि– 07/02/2025

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राप्तीनगर चतुर्थ चरण आवासीय योजना के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड को ई–नीलामी के माध्यम से प्राप्त कर स्वर्णीम अवसर।

उपलब्ध सम्पत्ति का विवरणः–

| क्र0सं0 | भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | न्यूनतम आरक्षित मूल्य | पंजीकरण शुल्क (10%) | भुगतान का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76.18 वर्ग मीटर | रू0–26,71,252.00 | रू0–2,67,125.00 | उच्चतम बोली की अवशेष धनराशि, कार्नर शुल्क, फ्रीहोल्ड आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30दिन के अन्दर करना होगा। |

आवंटन एवं भुगतान प्रक्रियाः–

1. ई–नीलमी में केवल वही व्यक्ति भाग ले सकता है, जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
2. ई–नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा।
3. ई–नीलामी में भाग लेने हेतु न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण शुल्क के रूप में आनलाइन जमा कर ई–नीलामी में प्र किया जा सकता है।
4. भूमि का आवंटन कैशडाउन पद्धति से "जहाँ है जैसे है" के आधार पर किया जायेगा, जिसमें सम्पूर्ण धनराशि 30दिन के अन्दर जमा करना होगा।
5. भूमि के मूल्य की अवशेष धनराशि, कार्नर शुल्क एवं फ्रीहोल्ड शुल्क आवंटन पत्र निर्गत होने के तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना होगा। धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। ऐसी दशा में जमा पंजीकरण धनराशि भी जब्त कर ली जायेग
6. बोली में असफल आवेदको द्वारा जमा धनराशि को नियमानुसार प्रशासनिक व्यय रू0–1000.00 कटौती के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
7. यदि देय तिथि के दिन बैंक अवकाश होता है तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पूर्व ही देय धनराशि जमा कर दे।
8. भूमि का कब्जा नियमानुसार स्टैम्प पेपर पर विक्रय–विलेख कराने के पश्चात दिया जायेगा।
9. आवंटी द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में किये गये भुगतान की तिथि प्राधिकरण के खाते में प्राप्त होने की तिथि को ही माना जायेगा।
10. क्रेता को मानचित्र तैयार कराकर स्वीकृति हेतु गोरखपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में ही प्रस्तुत करना होगा। मानचित्र स्वीकृति के उपर निर्माण कार्य कर सकेगा।

11. पंजीकरण, आवंटन/कब्जा एवं निरतीकरण आदि में किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण या उनके द्वारा नामित अधिकारी बतौर आर्बिट्रेटर मामले को आर्बिटेशन एण्ड कान्सिलियेसन एक्ट 1996 के अनुसार निस्तारित करेगा। उनके द्वारा दिया गया फैसला अन्तिम व मान्य होगा।
12. उपरोक्त शर्तो में किसी भी परिवर्तन, संशोधन तथा नीलामी, बिना किसी कारण रद्द करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
13. पंजीकरण विवरण पुस्तिका रू0–1000.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिकरण की बेवसाइट **WWW.gdagkp.in** से डाउनलोड किया गया जा सकता है।
14. विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिसव में सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जनसम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।

(यू0पी0 सिंह)
सचिव।

(आनन्द वर्द्धन)
उपाध्यक्ष।

# कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकरण,गोरखपुर

## आवश्यक सूचना

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा संचालित राप्तीनगर चतुर्थ चरण आवासीय योजना के अन्तर्गत क्षेत्रफल–76.18 वर्ग मीटर के भूखण्ड को ई–नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु दिनांक 20/01/2025 से दिनांक 04/02/2025 तक ई–पंजीकरण खोला गया है इसकी ई–नीलामी दिनांक 07/02/2025 को किया जायेगा। प्राधिकरण के वेबसाइट www.gdagkp.in पर आनलाइन पंजीकरण करा सकते है।

(यू0पी0 सिंह)
पी0सी0एस0
सचिव।

(आनन्द वर्द्धन)
आई0ए0एस0
उपाध्यक्ष।